संख्या-266/2025/I/1087571/2025/23-6099(099)/297/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2025**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र के कतिपय जनपदों के 28 मार्गों की व्यपगत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-5255 बी0जी0जी0/7बी0 (लैप्स)/2024-25, दिनांक 22.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र के कतिपय जनपदों के मार्गों के निर्माण हेतु व्यपगत (लैप्स) हो जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि का पुन: आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कॉलम-3 में अंकित कार्यों की धनराशि आहरित न हो पाने के कारण लैप्स/व्यपगत हो गयी है, के सापेक्ष विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा कोषागार के अनाहरण प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उक्त मार्गों की व्यपगत कुल धनराशि रू0 563.31 लाख (रूपये पांच करोड़ तिरसठ लाख इक्तीस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुन: अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत / प्राविधिक कार्य की लागत	शासनादेश में अवमुक्त धनराशि (प्रथम किश्त)	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय	व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुन: आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बहराइच	आर0एस0आई0एन0 कि0मी0-27 से बांये पिपरिया (रा0ग्रा0-पिपरिया) सम्पर्क मार्ग (सी0सी0) का नवनिर्माण कार्य।	270/2023/2471 /001-23-9002-002 -43-2023, दिनांक 06.11.2023	48.73 48.73	37.52	13.09	24.43	24.43
2	बहराइच	बहराइच- कटाईघाट (अजिमा) के कि0मी0-14 दायें गडेरियनपुरवा सम्पर्क मार्ग (रा0ग्रा0-मुकेरिया) का नवनिर्माण कार्य।	तदैव	65.12 65.12	50.14	13.76	36.38	36.38
3	बहराइच	अमरौरा दुबहा सं0 मार्ग से डरहियापुर (रा0ग्रा0-मैकूपुरवा) सम्पर्क मार्ग (सी0सी0) का नवनिर्माण कार्य।	तदैव	72.02 72.02	55.46	31.26	24.20	24.20
4	बहराइच	राजापुर कला सं०मार्ग से चैनपुरवा (रा०ग्रा०-रायपुर) सम्पर्क मार्ग (सी०सी०) रोड का निर्माण कार्य।	तदैव	69.07 69.07	53.18	21.92	31.26	31.26
5	बहराइच	मनिहारनप्रवा (राजस्व ग्राम बसौना माफी) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य ।	तदैव	38.26 38.26	29.46	11.30	18.16	18.16
6	बहराइच	विशैंधनपुरवा (राजस्व ग्राम नेवादा) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	तदैव	48.95 48.95	37.69	16.91	20.78	20.78
7	बहराइच	बरगदहा (राजस्व ग्राम उदवापुर) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	तदैव	35.19 35.19	27.10	16.00	11.10	11.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8	बहराइच	कटिलिया गुट्टी मार्ग से बनकटवा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	तदैव	70.07 70.07	53.95	43.09	10.86	10.86
9	बहराइच	अलमपुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	तदैव	63.83 63.83	49.15	40.25	8.90	8.90
10	बहराइच	दर्शनपुरवा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	तदैव	66.91 66.91	51.52	35.04	16.48	16.48
11	बहराइच	तेलियनपुरवा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	तदैव	65.96 65.96	50.79	34.79	16.00	16.00
12	बहराइच	किशुनपुर (रा०ग्रा०-रामपुर बरई) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य ।	तदैव	91.98 91.98	70.82	63.20	7.62	7.62
13	बहराइच	थनईगांव मार्ग से (अहिरनपुरवा रा०ग्राम-बलभद्दरपुर) सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	तदैव	51.68 51.68	39.79	37.47	2.32	2.32
14	बहराइच	हरिहरपुरवा (रा०ग्राम-गोकुलपुर) सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	तदैव	61.98 61.98	47.72	26.28	21.44	21.44
15	बहराइच	सदधू गांव (रा०ग्रा०-बसन्तपुर कलिका) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	तदैव	52.50 52.50	40.43	29.04	11.39	11.39
16	बहराइच	बढईचक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का र्य।	तदैव	67.31 67.31	51.83	42.88	8.95	8.95
17	बहराइच	कल्टपुरवा (रा०ग्राम-खैराकला) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	तदैव	50.17 50.17	38.63	12.59	26.04	26.04
18	बहराइच	संगवा से गोडियनपुरवा तक सं० मार्ग।	तदैव	44.16 44.16	34.00	26.00	8.00	8.00
19	बहराइच	सेमरा (रा०ग्रा०-शिवपुर सेमरा) सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	तदैव	86.72 86.72	66.77	38.45	28.32	28.32
20	बहराइच	गूढ छावनी सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य ।	तदैव	77.07 77.07	59.34	11.12	48.22	48.22
21	बहराइच	चिरौधा सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	तदैव	62.49 62.49	48.12	0.91	47.21	47.21
22	बहराइच	लोधनपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	तदैव	56.61 56.61	43.59	19.28	24.31	24.31
23	बहराइच	ईसाईपुरवा सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	तदैव	42.97 42.97	33.09	28.48	4.61	4.61
24	बहराइच	खैरीगौढ़ी सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य ।	तदैव	79.33 79.33	61.08	24.61	36.47	36.47
25	बहराइच	गद्दी गौढ़ी सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	तदैव	51.03 51.03	39.29	27.43	11.86	11.86
26	बहराइच	नौका गांव सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य ।	तदैव	58.10 58.10	44.74	0.85	43.89	43.89
27	बहराइच	विशम्भर गांव (रा०ग्रा०-रामनगर सेमरा) सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	38/2023/206/ 23-9-23-/001-23- 9002-002-7-2023, दिनांक 23.02.2023	84.68 84.68	84.38	81.88	2.50	2.50
28	बहराइच	पश्चिम खडिया (रा०ग्रा० खडिया) सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 1(950) का निर्माण कार्य।	तदैव	38.68 38.68	38.63	27.02	11.61	11.61
			कुल योग					**563.31**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) मार्ग की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं कार्य के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाये और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त तालिका में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(7) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(8) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,63,31,000 (रुपये पाँच करोड़ तिरेसठ लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in